रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 2017/आश्विन 21, 1939
No. 404] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017/ASVINA 21, 1939

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2017

फा. सं. 1(42) 2011-(01)/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग- I).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 37 के साथ पठित धारा 10 की उप-धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 20 अप्रैल, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना तारीख 18 अप्रैल, 2017 में संशोधन कर एतद्वारा निम्न अधिकारियों को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रुप में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित भारतीय रेलवे के अधीन क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथी से अधिसूचित करता है: —

तालिका में, —

1. क्र. 49, 51, 52 और 53 की पंक्तियों में, संबंधित स्तंभों की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात: —

क्र०सं०	खाद्य संरक्षा अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान और रेलवे
"49.	श्री संजीव कुमार	दक्षिण मध्य रेलवे
51.	श्री एफ. आर. वरावी	दक्षिण पश्चिमी रेलवे
52.	श्री पी. खाजा खान	दक्षिण पश्चिमी रेलवे
53.	श्री के. मोहम्मद रफी	दक्षिण पश्चिमी रेलवे";

2. वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात, संबंधित स्तंभों में निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात: —

क्र॰सं॰	खाद्य संरक्षा अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान और रेलवे
"57.	श्री टी. प्रभाकर राव	पूर्वी तट रेलवे"।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./268/17]

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में फा. सं. 1(42) 2011/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग-I), तारीख 18 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September , 2017

No. F. 1(42) 2011-(01)/Railways/FSSAI (Part- I). — In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India is hereby notifying the following officers as Food Safety Officers for the area mentioned against each under Indian Railways with effect from the date of publication in this notification by amending the principal notification dated the 18th April, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 20th April, 2017: —

In the table,

1. In the rows at serial numbers 49 and 53, for the entries in respective columns, the following shall be substituted, namely: —

Sr. No.	Name of FSO	Place of posting & Railway
"49.	Sh. Sanjeev Kumar	South Central Railways
53.	Sh. K. Mohammed Rafi	South Western Railways";

2. After the existing entries, the following shall be inserted in the respective columns, namely: —

Sr. No.	Name of FSO	Place of posting & Railway
"57.	Sh. T. Prabhakar Rao	East Coast Railways".

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT-III/4/Exty./268/17]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* No. F. 1(42) 2011/Railways/FSSAI (Part-I), dated the 18th April, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.10.16 20:09:01 +05'30'